

भारत सरकार / Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy
भारी पानी बोर्ड / Heavy Water Board
लेखा विभाग / Accounts Division
(वेतन अनुभाग / Salary Section)

शून्य तल / O' Floor,
वि.स. भवन / V. S. Bhavan,
अणुशक्तिनगर / Anushakti Nagar,
मुंबई / Mumbai- 400 094.
अगस्त August 11, 2017

सं./Ref: भापाबो /HWB/लेखा/Accts/मुलेअ./PAO/पेन/Pen/2017-18

विषय : सूचना शीघ्र भेजने संबंधी

Sub: Furnishing Information early-reg

भारी पानी बोर्ड (केंद्रीय कार्यालय), मुंबई, भारी पानी बोर्ड (टीडीपी), भारी पानी संयंत्र (थल) एवं भारी पानी संयंत्र (हजीरा) से सेवानिवृत्त सभी पेंशनभोगियों और परिवार पेंशनभोगियों को सूचित किया जाता है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 12.05.2017 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार पेंशन को संशोधित किए जाने की कार्रवाई चल रही है। अपेक्षित सूचना ई-मेल, फैक्स अथवा पोस्ट के माध्यम से यथाशीघ्र प्रेषित की जाए ताकि पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधन कार्य वरीयता के आधार पर किया जा सके।

This is brought to the notice to all the Pensioners and Family Pensioners retired from Heavy Water Board (Central Office), Mumbai, Heavy Water Board (TDP), Heavy Water Plant (Thal), & Heavy Water Plant (Hazira); that the Pension revision, as per OM dated 12/05/2017 of DP&PW under the 7th CPC Rules is under process. Requisite information may kindly be forwarded via email fax or post at the earliest. So that the revision of pension /family pension can be taken up on priority.

उक्त के लिए एक प्रपत्र इसके साथ संलग्न है। प्रपत्र में सभी सूचनाएं देना अनिवार्य है। पेंशनभोगी/ पारिवारिक पेंशनभोगी द्वारा विधिवत् रूप से भरा और हस्ताक्षरित किया हुआ प्रपत्र भुगतान एवं लेखा अधिकारी, भारी पानी बोर्ड (केंद्रीय कार्यालय), मुंबई, को डाक से ई-मेल (pao@mum.hwb.gov.in) एवं aaosalary@mum.hwb.gov.in / फैक्स (no. 25563243) से अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाए।

A format for the same is enclosed herewith. All fields are mandatory to be filled. The filled in format duly signed by the Pensioner/Family pensioner may be sent to PAO, Heavy Water Board (Central Office), Vikram Bhavan, Anushaktinagar, Mumbai 400 094 by post/E-mail (pao@mum.hwb.gov.in & aaosalary@mum.hwb.gov.in) fax (no. 25563243).

संलग्नक Encl : यथोपरि a.a

(श्रीमती के. एस. विजयालक्ष्मी / Smt. K. S. Vijayalaxmi)
भुगतान एवं लेखा अधिकारी / Pay & Accounts Officer

भारी पानी बोर्ड (केंद्रीय कार्यालय), मुंबई, भारी पानी बोर्ड (टीडीपी), भारी पानी संयंत्र (थल) एवं भारी पानी संयंत्र (हजीरा) से सेवानिवृत्त सभी पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशन भोगी All Pensioners and Family Pensioners in Heavy Water Board (Central Office), Mumbai, Heavy Water Board (TDP), Heavy Water Plant(Thal), & Heavy Water Plant (Hazira).

भारत सरकार / Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy
भारी पानी बोर्ड / Heavy Water Board
लेखा विभाग / Accounts Division
(वेतन अनुभाग / Salary Section)

शून्य तल / O' Floor,
वि.स. भवन / V. S. Bhavan,
अणुशक्तिनगर / Anushakti Nagar,
मुंबई / Mumbai- 400 094.

पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी हेतु प्रपत्र
Proforma for Pensioners and Family Pensioners

सेवानिवृत्त अधिकारी का नाम . / Name of the Retired Officer	
पीपीओ नं. / PPO No.	
पता/Address	
परिवार पेंशनभोगी का नाम एवं जन्मतिथि Name & Date of birth of the Family pensioner	
दूरध्वनी क्र / Telephone no.	
मोबाइल क्रमांक/Mobile No	
ईमेल/Email	
बैंक का नाम एवं पता/ Bank Name & Address	
खातेदार का नाम/ Name of Account holder	
बैंक खाता क्रमांक/ Bank Account No	
आईएफएससी/एनईएफटी / I F SC / NEFT Code	
पेंशनभोगी / परिवार पेंशनभोगी का आधार नं. Aadhar No.of pensioner / Family pensioner	
पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगी का पैन नं. PAN No of pensioner /Family pensioner.	
पेंशनभोगी के मामले में निम्नलिखित सूचनाएं भी दी जानी चाहिए : In case of pensioners, the following information may also be given:	
पति/पत्नी का आधार नं./Aadhar no of family pensioner	
पति/पत्नी का पैन नं./ Pan No of Family pensioner	
पति/पत्नी की जन्मतिथि / Spouse Date of Birth	
पति/पत्नी की जन्मतिथि / Date of Birth of family pensioner	

नोट : आधार,पैन और बैंक खाते का प्रमाण संलग्न किया जाना चाहिए

Note : proof of Aadhar, PAN and Bank Account shall be enclosed.

यह सूचना सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के नियमों के तहत पेंशन के संशोधन हेतु आवश्यक है।
This information is required for revision of pension under the 7th CPC rules.

हस्ताक्षर /Signature :

दिनांक /Date :